[श्री रामावतार शास्त्री]

हार्दिक स्वागत किया है तथा सरकार को इसके लिए बधाई दी है ।

परन्तु महंगाई में वृद्धि के साथ सेनानियों की कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं । इसलिए, उनकी मांग है कि प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि को तीन सौ रुपए से बढ़ाकर चार सौ रुपए कर दिया जाए ।

प्राय: सभी सेनानी बूढ़े हो चुके हैं । ऐसे लोगों को रोग आसानी से धर दबाता है जिसके लिए इलाज की सख्त जरूरत होती है । इसके लिए भारत सरकार की ओर से चिकित्सा के लिए कम से कम एक सौ रुपए माहवारी प्रत्येक सेनानी को अतिरिक्त राशि के रूप में देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस प्रकार कुल मिला कर सेनानियों को प्रत्येक माह पांच सौ रुपए पेंशन के रूप में दिया जाए ।

सेनानियों में इस बात को घोर असन्तोष है कि सन् 1931 के गांधी-इर्विन समझौते के बाद जेलों से रिहा सभी सेनानियों को सम्मान पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है । इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत गठित गैर-सरकारी सलाहकार समिति ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई अपनी 18 जून, 1982 की बैठक में सर्व सम्मति से सिफारिश की थी कि (1) स्वेज कनाल और अम्बाला कैंट के मामलों से संबंधित व्यक्तियों (2) सी आई एच विद्रोह और मिस् विद्रोह के मामलों में कैद की सजा काटे व्यक्तियों (3) 1871 के वूका आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (4) 1940 के हालवेल स्मारक हटाओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (5) रानी झांसी रेजिमेंट की भूतपूर्व आजाद हिन्द की उन महिलाओं को जो युद्ध के मोर्चे पर लड़ी थीं, स्वतंता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि दी जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जेलों में रहते स्वतंत्रता सेनानी माता पिता के पैदा हुए बच्चों तथा जो उनके साथ जेलों में अर्हक अवधि तक रहे उन्हें सम्मान पेंशन देने की व्यवस्था की जाए । बाद की बैठक में समिति ने पुनश्चा वायलर, तेलगाना आन्दोलन और भोपाल आन्दोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन देने की सिफारिश की ।

सलाहकार समिति की सिफारिशों---को एक साल गुजर गया है । फिर भी दुख और आश्चर्य की बात है कि उसकी सिफारिशों को अब तक अमल में क्यों नहीं लाया गया । अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ने अपनी गत 6 जुलाई की बैठक में उक्त सिफारिशों को फौरन लागू करने की मांग की है ।

सरकार को इन सारी बातों के बारे में सदन के सामने शीघ् एक ब्यान प्रस्तुत करना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now Shri Ram Vilas Paswan will move his motion.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I have given my amendment to the motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him move his motion. Then only you will come to know what the motion is.

14.28 hrs.

MOTION Rs: SECOND REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं बल्कि ऐसा विषय है जो सदन और सदस्यों की गरिमा से संबंध रखता है । इस सदन की परिपाटी आज से नहीं अंग्रेजों के समय से ही यह चली आ रही है कि इस सदन और इसके सदस्यों की गरिमा की रक्षा की जाए ।

हमारे सामने विट्ठल भाई पटेल का फोटो लगा हुआ है । उन्होंने अंग्रेजों के समय भी प्रतिकार किया था और सदन की गरिमा और मर्यादा को कायम रखा था । चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के सदस्य हों, वरिष्ठ से वरिष्ठ हों या नए से नए सदस्य हों सभी को आज यह महसूस हो रहा है कि सदस्यों की प्रतिष्ठा अफसरों के मुकाबले में घटती जा रही है और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी सदस्य का ह्यूमिलियेशन न होता हो । माननीय सदस्य का अपमान नहीं होता हो। और कोई एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें किसी भी अफसर के खिलाफ किसी सदस्य ने शिकायत की हो और उस अफसर को प्रताड़ित किया गया हो। उल्टे जिस अफसर के खिलाफ मामला होता है, बना बनाया एक जवाब आता है जिसके तहत नीचे से ऊपर के अधिकारी और मंत्री तक उसी जवाब को यहां एढ़ दिया करते हैं और अफसर खुश हो जाते हैं । और बाद में उस अफसर को जिसके खिलाफ शिकायत होती है, प्रोमोशन भी मिल जाता है । मैं चाहूंगा कि प्रिवलेज कमेटी की जो सैकेन्ड रिपोर्ट है, उस कमेटी के जितने विद्वान सदस्य हैं और खास कर के जो उसके सभापति हैं उनके प्रति मेरी बड़ी आस्था है, समिति की रिपोर्ट को ही देखा जाए जो इन्होंने साक्ष्य लिया है तो शायद ही कोई ऐसा सदस्य है जिसने अफसर के काम को सराहनीय कहा हो, सब ने उसकी निन्दा की है एक स्वर से । माननीय सदस्य, श्री कुंवर राम यहां बैठे हुए हैं, 29 नवम्बर, 1980 की घटना है, ये स्कूटर पर अपने लड़के के साथ पटना सेक्रेटेरिट गए थे, शनिवार का दिन था, सेक्रेटेरियट चारों तरफ से घेर कर के बन्द किया हुआ था, उसी के बीच में बैंक है, उस दिन शनिवार होने की वजह से बैंक 12 बजे तक खुला था । यह 12 बजने से 10 मिनट पहले ही जाते हैं अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए । सही बात माननीय सभापति जी और सदस्यों ने पूछी थी कि जहां बैंक में लोगों का पैसा जमा रहता है उस गेट को बंद रखने की क्या तुक है ? लेकिन वह दूसरा मामला है । जब माननीय सदस्य वहां जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड है, तुम एम. पी. हो ? वह अपने लड़के को भेज कर कार्ड मंगाते हैं । उसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम नहीं जा सकते हो । माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी बीवी बीमार है, हमें पैसा निकालना है । कहा गया तुम नहीं जा सकते हो । उसके बाद माननीय सदस्य धरना पर बैठ जाते हैं । उस समय उनके साथ गाली गलोच हुई, जिसका सदस्य ने जिक्र किया है, जितनी भद्दी गाली दी गई है उसको मैं यहां नहीं कह सकता हूं । और कहा गया तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे । गिन कर के 35 डंडे मारे, बाद में 50 हो गये । इस तरह से माननीय सदस्य का ह्यूमिलिएशन होता है, गाली दी जाती है । माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं यहां से नहीं उठूंगा जब तक मुख्य मंत्री या कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आता । उसके बाद एक मंत्री आते हैं वह इनको लेकर चीफ मिनिस्टर के यहां जाते हैं । तो माननीय सदस्य के शब्द हैं पृष्ठ 14 पर, माननीय सदस्य कहते हैं कमेंट के सामने "ऐसा लगा कि जितना पुलिस ने अपराध नहीं किया था उससे ज्यादा मुख्य मंत्री ने अपराध किया । यह तो सच्ची घटना है, उसके बाद उन्होंने कहा मुख्य मंत्री ने डांट कर कहा तुम बेवकूफ हो, तुम लिख कर दे दो । इन्होंने लिख कर दिया, उसी दिन 29 तारीख को लिख कर दिया । सदन में मामला उठाया गया 5 दिसम्बर, 1980 को । उसके बाद पुलिस रेकार्ड करती है 15 जनवरी को । होम कमिश्नर, श्री अरुन पाठक से जब कमेटी के सामने पूछा जाता है, श्री सोमनाथ चैटर्जी ने पूछा क्या आपने यह जानने का पयत्न किया कि नगर पुलिस अधीक्षक ने किस प्रकार मामले की जांच की? तो होम कमिश्नर कहते हैं "मैंने कोई स्वतंत्र जांच नहीं की"।

फिर पेज 53 पर श्री चैटर्जी पूछते हैं "आपने जानने का प्रयत्न नहीं किया कि माननीय सदस्य का कथन क्या है ?"

होम कमिश्नर कहता है कि जी नहीं, नहीं किया ।

श्री पी. शिवशंकर जी कहते हैं कि क्या हम समझें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस ने अपनी

[श्री राम विलास पासवान]

सीमाओं का उल्लंघन किया ? अरुणा पाठक कहता है कि स्पष्टत: इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है ।

चटर्जी साहब कहते हैं कि पुलिस सही है या माननीय सदस्य ? अरूण पाठक कहता है कि पुलिस वहां उपस्थित थी, हो सकता है कि उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो ।

श्री पी. शिवशंकर, जो उस समय ला मिनिस्टर थे, कहते हैं कि पुलिस ने सीमाओं का उल्लंघन कया और माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचायी ? गृह-आयुक्त कहता है कि जी हां, माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी ।

पेज 55 पर चटर्जी साहब कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इस निरीक्षक ने किसी प्रकार की जांच की ? क्या उन्होंने माननीय सदस्य के विचार लिए, क्या इस निरीक्षक ने स्वतंत्र साक्षियों के विचार और उनके व्यान लिये अथवा नहीं ? ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है । अरुण पाठक कहता है कि मैंने कोई जांच नहीं की ।

उसके बाद शिवशंकर जी कहते हैं, आप आयुक्त है, आप एक जिम्मेदार और बहुत ऊंचे अधिकारी हैं, जो कुछ हुआ आप उसकी जांच किए बिना कैसे उसकी पुष्टि कर सकते हैं मैं इस बात से हैरान हूं ?

श्रीमती शीला कौल कहती हैं कि क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको विशेषाधिकार समिति के समक्ष जवाब देने के लिए लाना है, क्या आप इस समिति के महत्व को समझते हैं?

श्री जी. एल. डोगरा जी ने कहा कि सभी सदस्य किसी भी समय सचिवालय में जाने के अधिकारी हैं, वास्तव में वे सरकार चला रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं ? होम कमिश्नर कहता है कि हम इस मामले में ऐसा नहीं सोचते ।

संसद सदस्य नहीं जा सकता, असेम्बली का मेम्बर नहीं जा सकता है, उसके लिए ताला लगा दिया जाएगा । वह पूछते हैं कि क्या सदस्य को हक है, सदस्य भी सरकार चला रहे हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं? वह कहता है मैं ऐसा नहीं मानता । यह एरोगेन्ट जवाब है उसका।

डोगरा जी कहते हैं क्या सिपाही के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी जब कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षमा याचना कर ली? जब इन लोगों ने होम कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी तो होम कमिश्नर ने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया जो माननीय सदस्य ने कहा था । सीनियर सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस श्री पांडे ने यह रिपोर्ट दी । जो जमादार था पांडे, उसने सीधा खिलाफ में रिपोर्ट दिया । इन्क्वायरी आफिसर तिवारी ने अपनी रिपोर्ट खिलाफ दे दिया । उसी के आधार पर यहां से कह दिया गया ।

एक संसद् सदस्य का मामला होता है, प्रिविलेज कमेटी में मामला रेफर किया जाता है, सम्मानित सदन इस मामले को भेजता है और अफसर को इतनी भी तमीज नहीं है कि होम कमिश्नर अपने आप जाकर इन्क्वायरी करे । होम कमिश्नर को पूछा जाता है कि तुमने इन्क्वायरी किया, तो कहता है कि नहीं । किस से इन्क्वायरी करवायी तो कहता है सीनियर एस. पी. से । सीनियर एस. पी. से कहा जाता है कि तुमने इन्क्वायरी किया, वह कहता है नहीं । उससे पूछा जाता है किस ने इन्क्वायरी की तो कहता है इन्क्वायरी वेस्ट है नगर पुलिस अधीक्षक पर । नगर पुलिस अधिक्षक, सिटी एस. पी. से पूछा जाता है कि तुमने इन्क्वार किया तो कहता है कि उसने नहीं किया । किस ने इन्क्वायरी किया ? इन्सपैक्टर आफ पुलिस ने किया ।

इन्सपैक्टर आफ पुलिस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे कमेटी के सदस्य कहते हैं, वह कहते हैं, कि अधिकारियों ने अपोलोजी मांग लिया । इस-लिए यह सबसे बड़ी चीज हो गई ।

रोज ह्यूमिलियेशन हो रहा है । हमारे एक मैम्बर श्री जगपाल सिंह जी उठा रहे

थे, उनके साथ ह्यूमिलियेशन हुआ, जाटिया जी के साथ ह्यूमिलियेशन हुआ, तमाम सदस्यों के साथ ह्यूमिलियेशन होता है लेकिन पुलिस कमिश्नर आकर कह देता है कि हमसे थोड़ी गलती हो गई, वह भी जबर्दस्ती ।

सभापति महोदय ने कहा कि पहली रिपोर्ट में यह कहा गया कि संबंधित सिपाही को प्रोड्यूस करो, तो कहा कि छुट्टी पर है । सभापति महोदय ने कहा कि पहली रिपोर्ट में बताया गया कि सिपाही छुट्टी पर था, इसलिये उसका बयान नहीं लिया जा सका, तो क्या आप उसकी छुट्टी के संबंध में बता सकते हैं ?

होम कमिश्नर कहता है कि हमने विवरण की जांच नहीं की है ।

श्री पी. शिवशंकर, उस समय के ला-मिनिस्टर कहते हैं कि समिति को दुख है, इस मामले में साक्ष्य देने आए हुए साक्षियों ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। हमें खेद है कि इतने उच्च अधिकारियों ने संसद् सदस्य विशेषाधिकार के सम्बन्ध में अपनी अकर्मण्यता प्रदर्शित की है, आपके पास अपनी अकर्मण्यता के लिए कोई स्पष्टीकरण है ? श्री शिवशंकर ने होम कमिश्नर से पूछा कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका निष्कर्ष है कि पुलिस ने अपनी सीमा का उल्लघंन किया और माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन जब आप इस निर्णय पर पहुंच गए, तब भी आपने कुछ नहीं किया, आप अपनी अकर्मण्यता की क्या सफाई देते हैं। होम कमिश्नर कहता है : "फीलिंग्स जरूर इन्जर हुई हैं ।" माननीय सदस्य को इस तरह बे-इज्जत कर के अफसर इस तरह का जवाब देते हैं ।

सब से दुखद स्थिति यह है--माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए -- कि वह अफसर वहां जा कर कहता है कि मैंने कमेटी के सामने माफी मांग ली है, मगर मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमको सबक सिखाऊंगा । यह मैम्बर आफ पार्लियामेंट की डिग्निटी है । जहां तक चीफ मिनिस्टर का संबंध है, सभापति महोदय ने स्वंय कहा है कि या तो चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाना चाहिए था या एससे रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी । चीफ मिनिस्टर माननीय सदस्य को कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लिख कर दो । ऐसा ह्यूमिलिएशन होता है ।

घटना की जांच करवाई जाती है एक पुलिस इंस्पैक्टर से । इस सदन की डिग्निटी और मैम्बर आफ पार्लियामेंट की डिग्निटी का स्टैंडर्ड यह है कि एक इंस्पैक्टर आफ पुलिस घटना की जांच करता है । होम कमिश्नर, सीनियर सुपरिन्टैंडेंट आफ पुलिस और एस. पी. घमंड के साथ कहते हैं कि हमने जांच की पुष्टि कर दी है ।

मैं प्रिविलेजिज कमेटी के सभापति महोदय और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या होम कमिश्नर और सीनियर सुपरिन्टैंडेंट आफ पुलिस का यह दायित्व नहीं था कि जिस कांस्टेबल और जमादार ने माननीय सदस्य को ह्यूमिलिएट किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनको पनिशमेंट दें । क्या अभी तक उन्हें कोई पनिशमेंट दिया गया है ? सीधी सी बात है कि वह कमेटी के सामने आया और कह दिया कि मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूं । जब श्रीमति शीला कौल, श्री शिवशंकर ला मिनिस्टर और कमेटी के मेम्बरों ने बार-बार कहा कि आप प्रिविलेजिज कमेटी के सामने हैं, आप सोच-समझ कर बात करें, तब वह कहता है कि हमसे गलती हो गई है । क्या कमेटी ने उसका एटीच्यूड देखा ?

कमेटी ने आखिर में अपने निष्कर्ष में कहा है :--

"22 समिति ने अपने समक्ष दिये गये साक्ष्य तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह देखा है कि एक ओर श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त, बिहार सरकार तथा श्री ए. के. पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा और दूसरी ओर ड्यूटी तैनात कांस्टेबल श्री अब्दुल सत्तार तथा जमादार शिवदास पांडे द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के बीच कतिपय महत्वपूर्ण परस्पर-विरोधी बातें हैं ।"

[श्री राम विलास पासवान]

माननीय सदस्य का कहना है कि बैंक में उनका अकाउंट है और वह पैसा निकालने के लिए स्कूटर पर वहां गए थे। लेकिन सिपाही और जमादार कहते हैं कि ये बारह आदमियों के साथ गेट तोड़ने के लिए आए थे और जबर्दस्ती घुसना चाहते थे। उन्होंने यह लिखित दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जब इनके अपने सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो दूसरों के साथ क्या होता होगा।

समिति ने पैराग्राफ 24 में कहा है :--

"समिति ने यह भी देखा है कि यद्यपि श्री कुवंर राम संसद् सदस्य ने 29 नवम्बर 1980 को मुख्य मंत्री से लिखित रूप में शिकायत की थी, किन्तु संबंधित पुलिस अधिकारियों का बयान 15 जनवरी, 1981 को रिकार्ड किया गया और पुलिस निरीक्षक, सचिवालय पटना ने इस मामले की रिपोर्ट उसी दिन अर्थात 15 जनवरी, 1981 को नगर पुलिस अधीक्षक पटना को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने भी 16 जनवरी, 1981 को एक रिपोर्ट संयुक्त सचिव, बिहार सरकार को भेजी। इस से बात का पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों ने कितनी लापरवाही से जांच की थी।"

एक ही दिन में इंसपेक्टर लिख कर के देता है, एस. पी. को एन्डोर्स कर देता है, एस. पी. एन्डोर्स कर देता है एस. एस. पी. को और एस. एस. पी होम कमिश्नर को एन्डोर्स कर देता है। 16 तारीख को यानी दूसरे दिन होम कमिश्नर उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज देता है। कमेटी कहती है कि :

"अतः समिति यह टिप्पणी करती है कि पुलिस द्वारा जांच किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया गया और फिर एक ही दिन में अर्थात 15 जनवरी, 1981 को जांच भी कर ली गई तथा जांच रिपोर्ट भी भेज दी गई जब कि श्री कुवंर राम, संसद सदस्य ने 29 नवम्बर, 1980 को घटना तत्काल बाद लिखित रूप में शिकायत कर दी थी।

समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही के साथ तथा सरसरी तौर पर जांच की है और सही-सही तथ्य नहीं बताये हैं। इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा श्री ए. के. पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाने में बिल्कुल सहायता नहीं मिली है।

क्या किया है उस के ऊपर? कमेटी ने यह माना है कि होम कमिश्नर ने कमेटी को मिसगाइड किया, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने कमेटी को मिसगाइड किया, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि उस ने साक्ष्य में कमेटी को गुमराह करने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी चाबुक आप का उस पर नहीं लगा। इतने जिम्मेदार पदाधिकारी, जिन के हाथ में पूरे स्टेट की बागडोर है वह माननीय संसद सदस्य को इस तरह जलील करता है, गलत रिपोर्ट भेजता है, कमेटी की फाइंडिंग है कि उस से हम को सहायता नहीं मिली है लेकिन वह आ कर लास्ट में कहता है कि थोड़ी गलती हुई है तो आप ने सीधे सीधे उस को छोड़ दिया। किसी न किसी रूप में हमें कहीं न कहीं तो खूटा गाढ़ना चाहिए। आज तक दिक्कत यही है कि किसी एक भी पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। माननीय संसद सदस्य के खिलाफ मामला होगा, मिनिस्टर के खिलाफ मामला होगा, बहुत से और मामले होते हैं लेकिन एक भी अफसर को आप ने आज तक क्लच में नहीं लिया। नतीजा यह हो रहा है, वह ब्यूरो किसी देश में बढ़ रही है, अफसर का मन बढ़ रहा है, व जानता है कि किसी भी सदस्य को गाली दे दो, किसी भी सदस्य को थप्पड़ मार दो, किसी भी सदस्य को कुछ भी कर दो, सीधी सी बात आ जायगी एन्क्वायरी एंड रिपोर्ट। दो महीने बाद एन्क्वायरी होती है। 29 नवम्बर को यह घटना घटी, 5 दिसम्बर को कुवंर राम जी ने इसे पार्लियामेंट में उठाया और 15 जनवरी को यह मामला जा कर रेकार्ड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस में क्या हो सकता है? उन

का एक गिरोह बन चुका है, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कमेटी ने सारी चीजें अच्छी की, उस ने अपनी फाइंडिंग्स दी, सब कुछ किया और सभापति महोदय की बार-बार रूलिंग के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता है कि लास्ट में कमेटी का डंडा, उस का चाबुक इतना ढीला क्यों हो गया कि उस को छोड़ दिया । इसलिए मैं अभी भी समझता हूं कि कमेटी को चाहिए था, कमेटी का अपना प्रिविलेज है लेकिन यह सदन उस से भी बड़ा है, कमेटी को निश्चित रूप से कहना चाहिए था कि ऐसे अफसरों को जेल भेजा जाए जिस अफसरर ने इस प्रकार संसद के साथ बदतमीजी की है । मैक्सिमम पनिशमेंट उस को देना चाहिए । लेकिन आप उस को डिमांट भी नहीं करते हैं, आप ने उसके ऊपर संशयोर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया । यह कमेटी को करना चाहिए था । इसलिए मेरा यह आज का प्रस्ताव है और मैं तो इस राय का हूं कि चीफ मिनिस्टर को बुलवाना चाहिए था । तमाम संसद सदस्यों की राय थी कि चीफ मिनिस्टर को बुलवाइए । आप उसी पार्टी को बिलांग करते हैं, आप संसद हैं, चीफ मिनिस्टर यहां से जाता है, क्या संसद सदस्य की कोई गरिमा नहीं है ? कोई मेंबर आफ पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर के पास जाय और कहे कि पुलिस ने हम को गाली दी है तो चीफ मिनिस्टर यह कहेगा कि तुम बेवकूफ हो ? यह चीफ मिनिस्टर का जवाब है कि तुम बेवकूफ हो । इसलिए जो सभापति महोदय की राय थी मैं उस से सहमत हूं । सभापति जी ने कहा था कि या तो चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाए नहीं तो चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट मांगी जाए । यही कारण है कि आज भी माननीय संसद सदस्य को धमकी दी जा रही है, आज भी वह अफसर कहता है कि मैं ने गलती मानी है लेकिन मैंने गलती तुमसे नहीं मानी है और तुमको मैं सबक सिखाऊंगा । इसलिए मेरा यह मोशन है और यह मोशन इसलिए है कि भविष्य में कोई भी बड़े से बड़ा एदाधिकारी इस सम्मानित सदन के सदस्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे और उसकी इंटेगिरटी के सम्बन्ध में उंगली उठाने या उसकी प्रतिष्ठा को गिराने का कोई काम न कर सके ।

मैं ने इसपर अपना अमेन्डमेंट भी मूव किया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That question will arise later on.

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि या तो पदाधिकारी को यहां बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाई जाए या फिर कोई दूसरा एक्शन आप लेना चाहते हैं तो लें । (**व्यवधान**) ठीक है उसको जेल भेज दिया जाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House do consider the Second Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 21st April, 1982."

Dr. Subramaniam Swamy.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Call him in the House.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Shri Ram Vilas Paswan has given most of the factual part. So, I am not going to repeat.

I also have an amendment which calls for sending this Report back to the Committee and to ask the Committee to look at some fresh evidence.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must confine only to this Motion: Shri Ram Vilas Paswan.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am not talking of Platform No. 1 of Patna Railway Station nor of Urban Co-operative Bank. (*Interruptions*).

I am not going to question the wisdom of this Report because very wise people are in the Committee. I do not think the House should pass judgment as to what should be done. In my opinion, the Committee, in view of the opinion expressed may review its own findings and then come forward with conclusions which are more appealing to the House. This is not the first occurrence. As has been pointed out there are occurrences, quite a few. There has been Shri Jatiya's case. All the cases have been

[Dr. Subramaniam Swamy]

with Harijan M.Ps. This is a factor which has to be viewed in the general context—as to what is happening in the country. This is not an ordinary case. It is something which we must look with a great deal of seriousness. There is no political angle to it. The Member involved is the ruling party Member. We are going in defence of the ruling party which is unable to protect its Members.

MR. DEPUTY SPEAKER: In defence of another Member.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Who also happens to be a ruling party Member unfortunately. I would recommend that he should come and sit here. That is a better place.

I draw your attention to page 35 of the Report. It says:

> "The Committee noted that there were certain material contradictions between the evidence given before the Committee by Shri Arun Pathak, Home Commissioner, Government of Bihar and Shri A. K. Pande, Senior Superintendent of Police, Patna, on the one hand and by Shri Abdul Sattar, Constable on duty and Shri Shiva Das Pandey, Jamadar, on the other hand. The Committee also noted the undue delay in conducting the inquiry by the police and then making enquiry and submitting the inquiry report on the same day, that is, 15th January, 1981."

There is no explanation why there is undue delay. But the Committee has noted there is undue delay by the police and then making enquiry and submitting the enquiry on the same day *i.e.* 15th January.

> "While the complaint was made in writing by Shri Kanwar Ram, M.P. immediately after the incident took place on 29th November, 1980."

Enquiry is dated 15th January. Committee noted that 'there is undue delay'. The Report says when final enquiry was taken up, the enquiry was started and concluded on the same day by the Inspector of police.

> "The Committee were of the view that the enquiry had been made by the police in a very casual and superficial manner and did not state the facts correctly."

What could be a bigger damnation of the administration there.

The Committee says:

> "The evidence given by Shri Arun Pathak, Home Commissioner of Bihar and Shri A. K. Pande, Senior Superintendent of Police, Patna, before the Committee, was entirely unhelpful to the Committee in arriving at the truth."

Look at this. This is a diplomatic way of saying that the man is a swine.

AN HON. MEMBER: Liar, liar.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Or a liar. O.K.

If swine is unparliamentary you can take it out Then, the next point:

> "The Committee were not convinced by the written statements and oral evidence given before the Committee by Shri Arun Pathak, Home Commssioner, Bihar...."

Finally the Committee says, "The Committee were of the opinion that taking into view the totality of the circumstances of the case, Shri Kunwar Ram, M.P. had been ill-treated, abused in filthy language by Shri Abdul Sattar, Constable on duty...." This is the Committee's conclusion. There is no doubt that this is a very serious matter. (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are 4 or 5 Members to speak

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Just one minute, Sir. There is no doubt that the whole incident had happened and the M.P's version has been corroborated. The behaviour of

the Administration before the Committee is disgraceful, that is judged by what the Committee itself says. The Committee has come to the very humane conclusion that since they apologised, the matter may be dropped. This is the key issue. This is the matter on which I want to take the issue. This "apology" is not the real apology. This is an apology, in my opinion, which is extractive. This is an apology, which is being given in order to avoid punishment.

I quote page 99 of the Report You please put on your ear-phone. It is in Hindi.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Swamy, I can follow your Hindi.

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY: On page 99, the Chairman asked Mr. Pathak and on the basis of his reply, they have excused him.

यह मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी कि एम. पी. साहब को कुछ हो और अगर हुआ है तो क्षमा मांगता हूं, उसके लिए ।

What does that mean? Throughout, it has been like that. There are other places also where it has been said "If that is so". Then, this is not "apology". I do not know how the Committee came to the conclusion that they have apologised. Therefore, this is not a genuine apology. (*Interruptions*)

Secondly, they did not call the Chief Minister of Bihar for evidence. They should have called him because he is reported to have said several things. Whether he would add material or not, but for the fact of the matter, he should have been called.

Therefore, I would urge upon this House to unanimously send this Report back to the Committee and ask the wise men to harden a little bit and think of the bigger issue in the country and the fact that this is happening now frequently and, therefore take a more serious view and give a punishment that fits the crime that these people have committed.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान और डा. स्वामी ने जो कुछ कहा है, उसको दोहरा कर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं । उन्होंने कान्स्टेबिल और जमादार ने जो माफी मांगी है, उसकी भाषा पर आपका ध्यान आकर्षित किया है ।

श्रीमान मैं इस माननीय समिति के निष्कर्ष को बिना शर्त मानते हुए, मेरे आचरण से माननीय सदस्य श्री कुंवर राम जी का यदि कोई अपमान हुआ है तो उसके लिए बिना शर्त इस माननीय समिति से और माननीय संसद सदस्य श्री कुंवर राम जी से क्षमा प्रार्थी हूं । मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्षमा किया जाए ।

कहां माफी मांगी है उन्होंने कहां अपराध स्वीकार किया है । उन्होंने तो कहा है कि हमने अपना कर्तव्य-पालन किया है और उस कर्तव्य-पालन के कारण श्री कुंवर राम जी यदि गलत समझे यह उनकी समझदारी नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य-पालन कर रहा था । उस कर्तव्य पालन करने के कारण श्री कुंवर राम जी ने यह समझा कि उनका अपमान हो रहा है ।

15.00 hrs

अगर उन्होंने इस को अपमान समझा है, तो हम उन से माफी मांगते हैं । इस बात से जाहिर होता है कि उन दोनों आदमियों ने ऐसा समझा हो नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया है, तब फिर इस माफी मांगने के क्या मायने हैं ? मेरा यह कहना है कि उन्होंने माफी मांगी ही नहीं है । समिति के माननीय सदस्यों को भ्रम हुआ है कि उन दोनों व्यक्तियों ने समिति से माफी मांगी है । माफी मांगी ही नहीं है, इस लिये उन को छोड़ देने का सवाल ही नहीं उठता है ।

दूसरी बात--श्री कुंवर राम ने जब बिहार के मुख्य मंत्री से शिकायत की, तो

[प्रो. अजित कुमार मेहता]

मुख्य मंत्री ने कहा--बेवकूफ हो। एक संसद सदस्य को कहा--बेवकूफ हो। इस बात को उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न मुख्य मंत्री पर भी बनता है तथा विशेषाधिकार समिति के सामने मुख्य मंत्री को भी बुलाया जाना चाहिये था।

एक और बात देखिये--जब कुंवर राम जी ने मुख्य मंत्री को लिखित शिकायत ता. 29 नवम्बर को दी तो उस पर कितने दिनों तक जांच की कार्यवाही नहीं हुई। जांच की कार्यवाही 15 जनवरी को हुई--कितने समय का अन्तराल रहा --डेढ़ महीने बाद कार्यवाही शुरू हुई, डेढ़ महीने बाद विज्ञ एदाधिकारियों को एक ही दिन के जांच में पता चल गया कि कुंवर राम जी ने जो कहा है, वह सब गलत है। कांस्टेबल और जमादार ने जो कहा है, वह सही है। यह सब क्या दिखलाता है ? मेरी समझ में तो यही दिखलाता है कि अधिकारीयों का यह रवैया ही कि उन के विभाग में यदि किसी से गलती हुई है तो उस को किसी प्रकार से सजा न मिले, इस तरह का उपाय वे करते हैं। वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, केवल जांच की रस्म-अदायगी की गई। डेढ़ महीने तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन उस के बाद एकदम सजगता आ गई, नीचे से सारी रिपोर्ट आई, जांच हुई और जांच करने के बाद वह रिपोर्ट भेज दी गई। इतनी शीघ्रता पुलिस विभाग में कहां होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, गृह आयुक्त ने इस बात की चर्चा की है कि इसमें सन्देह है कि कांस्टेबिल ने श्री कुंवर राम के साथ अभद्र व्यवहार किया होगा। मैं आपका ध्यान उनके प्रतिवेदन की तरफ ले जाना चाहता हूं – जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री कुंवर राम ने उन कांस्टेबिल्ज को, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, भद्दी गालियां दीं। कांस्टेबिल और जमादार ने कुछ नहीं कहा। जिनको पुलिस के साथ व्यवहार का थोड़ा भी अनुभव होगा, वे इस बात से खुद समझ जायेंगे कि ऐसी बात नहीं हो सकती कि पुलिस कर्मचारी को कोई आदमी गाली दे और वह चुपचाप सहता चला जाय। व्यवहार में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पुलिस के कर्मचारी भद्दी गालियां देने के अभ्यस्त होते हैं और यदि कोई गाली देने की गलती कर दे तो उस को अच्छी सजा देते हैं।

इस लिये इन सब तथ्यों पर ध्यान देते हुए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि दोषी व्यक्तियों को सदन में उपस्थित करा कर उन को प्रताड़ित करने का निर्णय लें।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): The report of the enquiry made by Shri Anil Kumar Pande Senior Superintendent of Police, Patna, was submitted to Shri Avadesh Kumar, Joint Secretary to the Bihar Government, on the 16th January. In this report, the conclusion is, I quote:

> "As far as the question of misbehaviour by Abdul Sattar, the Guard on Duty, for checking passes is concerned, the allegations made by the Hon. Member have not been proved."

So, this enquiry which took place, after a lot of delay, on the 15th January and which was completed in one day and to which the Privileges Committee has referred as being superficial and hasty, came to the conclusion that the allegations of the Hon. Member have not been proved and this report is signed by the Senior Superintendent of Police, Patna, Shri Anil Kumar Pande.

Later on, the Committee came to its own conclusions on the basis of all the evidence at its disposal and categorically held that "The Committee are of the opinion that, taking into view the totality of the circumstances of the case, Shri Kunwar Ram, M.P. has been ill-treated and was abused in filthy language." It is only after they were confronted, one

by one, in the Committee with this finding that these people gave their unqualified apology. Up to that time, the findings of their enquiry and their statement was that the allegations of the Hon. Member are not proved and, therefore, are unfounded. It is only after the Committee confronted them with its own findings, one by one, that they have given their unqualified apology. This is a very curious state of affairs. Of course, the Committee on Privileges is a Committee of this House. We have great respect for them. But we have entrusted them with a particular responsibility which is to uphold the privileges of the Members of the House and the dignity of the Members of this House and I do feel that perhaps there has been some leniency in this matter.

I cannot, for the life of me, understand why the Chief Minister was not summoned. One cannot say that the Chief Minister has nothing to do with this incident. It was brought to his notice directly by the Member himself, shortly after the incident occurred, when he is supposed to have added fuel to the fire by calling him 'Bevakoof' and he simply said "All right. I have heard you. Now you go."

I do not know whether in any other State in this country there is such a Circular issued which must have the authority of the Chief Minister....

AN HON. MEMBER: No other State.

SHRI INDRAJIT GUPTA: And that no M.P. or M.L.A. can enter the premises of the Secretariat except after 3.30 P.M. It can be done only between 3.30 and 5.00 P.M. He will be allowed to enter only between these times. Otherwise, he will not be allowed to enter. It seems quite extraordinary that such a Circular does not exist in any other State, to my knowledge, and particularly when within the Secretariat premises this cooperative bank is located, the Member can only enter after 3.30 PM. when, of course, the bank is already closed for business.

AN. MEMBER: In Maharashtra also, it is like that.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I do not think any further evidence—Perhaps Mr. Swamy has suggested that it should be referred back to the Committee for collecting further evidence—will be available to the Committee. Whatever evidence is possible, is procured. Either it can go back to them for review or these officers concerned can be summoned. All that can be done is to summon them to the House and do make them unconditionally apologise here. But I think, may be, the Committee might review their own findings in this matter.

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर राम जी के साथ जो कुछ हुआ है और हमारी प्रिविलेजेज कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस से एक बात साफ जाहिर है कि उन कर्मचारियों ने इरादतन हमारे सम्मान्य सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है । हमारे पासवान जी ने जो नरेट किया है रिपोर्ट में से, मैं उस को दोहराना नहीं चाहता लेकिन सवाल यह है कि इस जनतंत्र को अगर जिन्दा रखना है, तो 8-10 लाख लोगों ने जो अपने प्रतिनिधि को चुन कर भेजा है, नौकरशाही के हाथ उस को पिटवाने से क्या वह जिन्दा रह सकेगा ? यदि उस का सम्मान नहीं होगा, तो इस सदन का सम्मान भी धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा । आज हमारे देश में नौकरशाही का पंजा इतना जकड़ गया है कि एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी उस के सामने बोलते हुए घबड़ाता है ।

पहले तो मैं मांग करूंगा कि एक संसद सदस्य को यह अधिकार होना चाहिए कि अपनी स्टेट के, अपने क्षेत्र के छोटे और बड़े अफसरों को महीने में कम से कम एक बार अपने घर बुला सके । एक संसद

[श्री जयपाल सिंह]

सदस्य दस लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिए संसद सदस्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उन्हें बुला कर काम बता सके और बाद में बुला कर उनसे यह जान सके कि वह काम हुआ या नहीं । एक दरोगा थाने में बैठा हुआ तो किसी को भी बुला सकता है ।

आज लोक सभा और राज्य सभा की गरिमा घट रही है । इस पर पूर्ण रूप से सोचने की जरूरत है । मेरा सुझाव इसलिए है कि संसद सदस्यों को यह अधिकार देना चाहिए महीने में कम से कम एक बार बुला कर वह उन्हें काम दे सके और बाद में उनसे पूछ सके कि मैंने आपको जितने काम दिये थे वे आपने किये या नहीं किये ।

23 जून, 1982 को सहारनपुर जिले के नांगल अंचल में साढे तीन बजे वहां के दरोगा ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके बारे में मैंने आपको एक प्रिवलेज मोशन दिया है। एक दारोगा और डी.एस.पी. ने वहां मुझको रोक कर कहा कि तुम आगे नहीं जाओगे और फिर मुझ पर पथराव कराया। वहां एस.पी. आये तो मैंने उनसे कहा कि यह पथराव कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ कर चलिये, मैं आपको थाने में छोड़ दूंगा । मेरे न जाने पर वे मुझ को उसी हालत में छोड़ कर चल दिये और पथराव कराने वाले दरोगा को उन्होंने नहीं रोका । इस से मेरे शेडो का सिर फट गया, मेरे ड्राइवर के मुंह पर चोट आयी और मेरे साथ जो स्थानीय विधायक श्री रामस्वरूप निम थे उनका भी सिर फोड़ दिया गया । इस बात की शिकायत मैंने एस. एस. पी. से की लेकिन आज तक दरोगा और डी एस. पी. के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया ।

एक दरोगा एक संसद सदस्य के खिलाफ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करता है और मजे की बात यह है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है । अगर आप अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही न करेंगे, सख्ती के साथ एक्शन नहीं लेंगे, चाहे उन्हें सस्पेंड करने की बात हो, उनके बरखास्त करने की बात हो, उन्हें जेल भेजने की बात हो, तब तक आप इस सदन की या उस सदन की गरिमा को नहीं बचा सकते हैं । इसके लिए चाहे आप कोई कमेटी बिठाइये जो कि यह निर्णय करे कि क्या दंड देना है । अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आज संसद् सदस्य का जो ह्रास हो रहा है, और हमारे संसद सदस्य लोगों के सामने पिटते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति होगी । हम चाहते हैं कि अगर आपको जनतंत्र की व्यवस्था मजबूत करनी है तो आपको संसद् सदस्य को भी पूरा सम्मान देना होगा । आज संसद सदस्य के साथ इस तरह के व्यवहार द्वारा लोकतंत्रीय पद्धति पर ही हमला हो रहा है ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि कुंवर राम जी वाले मामले पर अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, टरमिनेट किया जाना चाहिए और अगर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है तो वह भी करना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैंने तो उस दर्द को कहा था जो मुझे हुआ है । इसलिए अब मैं उस दर्द को पुनः व्यक्त करने की कोशिश नहीं करूंगा ।

किन्तु यह बात सही है कि प्रजातंत्र के अंदर संसद के माध्यम से जो यह व्यवस्था हम चला रहे हैं, उसमें संसद की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे । अगर हमें इसा सम्मानित संस्था की मर्यादा की रक्षा करनी है तो देश में कुंवर राम जी के साथ हो रही घटनाओं पर हमें काबू पाना होगा । मुझ को लगता है कि कुंवर राम जी को संसद सदस्य बनने के बाद मां-बहिन की गाली का यह तोफा मिला है । मैं समझता हूं कि हमारे स्वाभिमान पर, हमारे प्रजातंत्र पर कलंक है । अभी जगपाल सिंह जी ने बताया कि पुलिस उनको भी पिटता हुआ छोड़ कर चली गयी । अगर हम संसद् सदस्य हुए हैं तो इसलिए नहीं कि पुलिस हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करे ।

ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अंदर सारे दर्द और पीड़ा को समेटे हुए हैं । संसद सदस्यों की गरिमा बनाए रखने का दायित्व भी संसद का है । हमें इसको बनाए रखना चाहिए । कोई कुछ भी करता जाए और हम उसको माफ करते जाएं, यह कितनी हद तक होगा । इसलिए हमारी समिति ने जो निर्णय लिया है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में पुनरावलोकन होना चाहिए । यह सामंतवादी मनोवृति है । इस तरह से तो संसद सदस्य भी जातिवाद के आधार पर माना जाएगा । यदि संसद सदस्य आदिवासी होगा उसको पीट दिया जाएगा । ये रोजमर्रा की बात हो गई है । ये बातें हमारे मर्म को आहत करती हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार होना चाहिए । यह कोई सत्यनारायण जटिया, कुंवर राम या जगपाल सिंह का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि संसद सदस्य होने के नाते जो गरिमा होनी चाहिए उसको बनाए रखने का काम निश्चित रूप से संसद का है । यदि हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सके तो हमारा संसद सदस्य होना बेमानी है ।

इसलिए मेरा आग्रह है कि गरिमा को स्थापित करने के लिए जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही की जा सकती है, की जानी चाहिए । यह प्रजातंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है । संसद सदस्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए यदि हमें कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ें तो उठाए जाने चाहिए । मेरा आग्रह है कि इस सारे प्रश्न पर फिर से गंभीरता से विचार करें । हमारे ही लोग समिति में बैठे हैं, उनको हमारी पीड़ा का अहसास है । इस ओर वे विचार करें, यह मेरा आग्रह है ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): More than one Member has already referred to the facts which I will not go into.

The perfunctory attitude of the entire administration beginning from the constable upto the Chief Minister is clear. I have to speak on this because when it is a question of defending the privileges of a Member, I think we are in reality duty bound to defend the privileges of those whom we represent. That is where the question comes.

Now this is a very serious matter that MPs are being dealt with like this. But more serious is this that if the MPs can be dealt with like this and people can get away scotfree, what will happen to our millions of constituents? That is what is at stake. If you, from that point of view, consider this report, I will say that if the serious and the most heinous perfunctory attitude that has been shown by the administration is just somehow removed from any consideration whatsoever, then we will be answerable to our electorate in not defending their rights. So from this point of view I think this should be reviewed and these people should be hauled up here to say the least, so that our constituents feel that this is not the way to deal with these things, let alone with the MPs.

SHRI INDRAJIT GUPTA: No Member from that side, Sir?

SHRI HARIKESH BAHADUR: I have given my name.

MR. DEPUTY SPEAKER: Your name is not here.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I gave before 10 O'clock.

MR. DEPUTY SPEAKER: Your name is not here.

SHRI HARIKESH BAHADUR: It is a lapse on the part of the Secretariat.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right, I will give you two minutes. Now I call Mr. Sundar Singh. After him, you will speak. Shri Sundar Singh.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही बहुत तंग हूं । जो वह कर रही है, जो अफसर कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है वह मेम्बरों को चाहे पार्लियामेंट के हों या असेम्बलीज

[श्री सुन्दर सिंह]

के हों, उनको दुरूस्त कर रही है । बजाए एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के हमें ही ठीक वे कर रहे हैं ।

इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है । जिस ने मेम्बर की बेइज्जती की है, उसको डिसमिस करना चाहिये, सख्त से सख्त और ज्यादा से ज्यादा उसको सजा देनी चाहिए । जो मिनिस्टर हैं वे भी ब्यूरोक्रेसी के मातहत चलते हैं उसको भी डिसमिस कराओ । मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से ही बहुत तंग हूं । मैं मिनिटर रह चुका हूं । तब किसी में जुर्रत नहीं पड़ती थी कि ऐसा काम वह कर सके । जिसने मेम्बर की बेइज्जती की है, उसको डिसमिस करने से भी कुछ नहीं बनेगा ।** माफी मांगने से तो काम चल ही नहीं सकता है । उसको जूते मारे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सबक मिले । ज्यादा बात मैं नहीं कहता हूं । जहां कोई गलती करे उसको सीधे डिसमिस किया जाए । किसी भी एम पी के साथ बदसलूकी हो, जो भी ऐसा करता है उसको ठीक किया जाना चाहिए । इस में पार्टी का कोई सवाल नहीं है । यह हाउस की डिगनिटी का सवाल है जिसको हम को कायम रखना है।' तभी काम हो सकता है । ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दी जानी चाहिये, सख्त से सख्त सजा उसको दी जानी चाहिए और**

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has used certain Unparliamentary words. I will go through the records.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Don't expunge it. (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That portion where he says that they should be brought to this House.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: That can be expunged.

श्री सुन्दर सिंह : मेरे कहने का मतलब यह था कि कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही के साथ, सरसरी तौर पर जांच की है और सही तथ्य नहीं बताए । इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा श्री ए. के. पांडे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाने में बिलकुल सहायता नहीं मिली है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यही अधिकारी हैं जो कि श्री कुंवर राम जी के साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की, उनको बचा रहे हैं । समिति के समक्ष जब ये उपस्थित हुए तो लगातार इन लोगों ने बहुत ही घमंडपूर्ण आचरण का प्रदर्शन किया । समिति के सामने जब ये आए तो समिति के माननीय सदस्यों को कई बार कहना पड़ा कि आप समिति के सामने आए हुए हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, समिति एक बहुत ही संसद की महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए जो कुछ कहना हो, सोच समझा कर कहिये लेकिन इतना होने के बावजूद भी श्री अरुण पाठक ने जिस प्रकार समिति के सामने वक्तव्य दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके प्रति उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं था ।

उस समय के कानून मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा था कि समिति को दुख है कि इस मामले में साक्ष्य देने आए हुए साक्षी ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं । हमें खेद है कि इतने उच्च अधिकारियों ने संसद सदस्य के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में अपनी अकर्मण्यता प्रदर्शित की है ।

उन्होंने यह भी कहा था कि:

आपको इसी कारण नोटिस जारी किया गया था । आपको कुछ कहना है ? आपके पास अपनी अकर्मण्यता के लिए कोई

**Expunged as ordered by the chair.

स्पष्टीकरण है ? यदि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तो समिति निर्णय करेगी कि इस मामले में क्या किया जाए।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी सदस्य का प्रश्न नहीं है बल्कि सम्पूर्ण सदन की गरिमा का सवाल है। आज हम संसद सदस्यों के साथ, चाहे किसी भी दल के हों, जिस प्रकार हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका वर्णन करना असम्भव है। कहीं भी हम जनता के काम को ले कर जाते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। और इस प्रकार की घटनाएं इस सदन के सामने आ चुकी हैं। नागपुर के एक पुलिस अधिकारी ने यहां के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया था उसे यहां बुला कर डांटा गया था। उसके बाद भी देश की नौकरशाही पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम होगा इसी सदन के एक सदस्य, श्री चन्द्रपाल शैलानी के साथ एक बार दुर्व्यवहार हुआ था, उसका प्रिवलेज नोटिस आया था, जो कुछ भी संसद ने किया उसका कोई असर देश की नौकरशाही पर नहीं पड़ा। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम अपनी बात यहां कहते हैं, विशेषाधिकार समिति उस मामले की जांच करती है और अन्त में उन्हें क्षमा प्रदान कर देती है मानवता के दृष्टिकोण से। लेकिन हम कितने भी मानवीय हों, उसका कोई असर नौकरशाही पर नहीं पड़ता। इसलिए सदन की गरिमा को बचाने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के अपराधी अधिकारियों के खिलाफ सदन कार्यवाही करे। और इसलिए मैं विशेष रूप से सदन से अपील करूंगा कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को फिर से सुपुर्द किया जाए ताकि जो दंड देने की बात है उसे समिति पुनः तय करे कि उन्हें क्या दंड देना है। मैं सुझाव देना चाहता हूं किसी वरिष्ठ अधिकारी को, चाहे वह गृह आयुक्त हो या जिला पुलिस अधीक्षक, जिसने समिति को गलत सूचना देने की कोशिश की, मिसगाइड किया है, उनमें से किसी न किसी अधिकारी के खिलाफ, या दोनों के ही खिलाफ, कोई सख्त कार्यवाही की जाए। या तो उनको रिवर्ट किया जाए या उनको मुअत्तल किया जाए, या सदन में बुला कर डांटा जाए, या उनको जेल में भेजा जाए, या इससे भी बड़ा कोई दंड दिया जाए। डांटने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको दंड देना आवश्यक है। मैं समझता हूं सम्पूर्ण सदन की भावना इस बात से जुड़ी होगी क्योंकि सभी सदस्यों को इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, बल्कि सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है, सम्पूर्ण सदन का, भारत की सर्वोच्च संसद का सवाल है जिसकी सर्वोच्चता की हम बात करते हैं उसके माननीय सदस्यों की कोई इज्जत नहीं रह गई है, खास कर के नौकरशाही की नजर में। इसलिए उन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। इसलिए माननीय कुंवर राम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो भी कारगर कदम उठाया जाए उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि उससे सारे सदन की गरिमा बचेगी।

SHRI HARINATHA MISRA (Darbhanga): Sir, I find that altogether eight hon. Members have taken part in the discussion. I admire my young friend, Shri Ram Vilas Paswan for his usual determination in the House to pursue a matter but I cannot congratulate him for the manner in which he has raised this issue or for what he has suggested in and through his Motion.

Roughly, two points have been made. by the Hon. Members. First, that the punishment suggested and acted up to by the committee of Privileges is inadequate. Secondly—I lay emphasis on this—a number of important members have seriously suggested as to why the Chief Minister of Bihar was not asked to appear before the Committee.

Now, Sir, at the very outset I would like to draw your kind attention and the attention of hon. Members to page (iii) of the Report containing the 'Personnel of the Committee of Privileges', 1981-82. Besides the Chairman, there were 14 other Members. I will read out the names. They were:

Shri R. L. Bhatia
Shri Somnath Chatterjee
Shri V. Kishore Chandra S. Deo

[Shri Harinatha Misra]

Shri G. L. Dogra

Shri George Fernandes

Shri Ram Jethmalani

Shrimati Sheila Kaul

Shri Jagan Nath Kaushal

Shri Vikram Mahajan

Shri A. A. Rahim

Shri P. Shiv Shankar

Shri P. Venkatasubbaiah

Shri Ram Singh Yadav

Shri Vijay Kumar Yadav

Sir, we find that in this Committee no party or important group has been left out. (*Interruptions*)

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): There is no question of any party; these people don't work there on party lines.

SHRI HARINATHA MISRA: Kindly listen to me.

SHRI G. M. BANATWALLA: Totally irrelevent. He is totally trying to disfigure the way in which the committee works. First of all, I would challenge his statement that everybody is represented. Secondly I would say that we do not work on party lines in committees. Therefore, Sir, kindly rule that such a statement will be expunged from the records.

SHRI HARINATHA MISRA: It is up to the Deputy Speaker.... (*Interruptions*) I would draw your kind attention to page 44.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Misra, I know one information—that the DMK was not represented.

SHRI HARINATHA MISRA: I think Sir, no Member of the DMK has taken part in the deliberations either.

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The ruling party is representing your party also in the Committee.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is no objection to it.

(*Interruptions*)

SHRI HARINATHA MISRA: If you turn to page 44, you will see this:

"XV Fifteenth Sitting"

Besides the Chairman, Shri R. L. Bhatia, Shri G. L. Dogra, Shri Ram Jethmalani, Shri Jagan Nath Kaushal, Shri P. Shiv Shankar and Shri P. Venkatasubbaiah were present. And this portion states as follows:—

"The Committee considered their draft Second Report on the question of privilege raised by Shri Kanwar Ram, M.P., regarding the harassment caused to him and abusive remarks used in respect of Members of Parliament by police guard at New Secretariat, Patna, on 29 November, 1980, and adopted it."

Advance copies of the Draft Report had been sent to the hon. Members. No note of dissent, no difference of opinion, till today has been sent or expressed by any of the hon. Members.

So, it is presumed. . . .

AN HON'BLE MEMBER: The House is supreme.

SHRI HARINATHA MISRA: The House is supreme and therefore, I am referring it to the House. Naturally, it is presumed that the Report has the stamp of unanimity of the Committee Just now I have received... (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Can a Minute of dissent be introduced with retrospective effect?

SHRI HARINATHA MISRA: No, it can't be. Now, coming to the punishment side, you may kindly turn to page 15 of the Report. There you will find that Shri A. K. Pande, expressed his unqualified regret in the following words:—

"I tender my unqualified apology to the Committee".

(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir, is it proper to interrupt so often when the Chairman of the Privileges Committee is taking part in the debate? Is this the attitude? This is how he is being treated in the House.

SHRI HARINATHA MISRA: Now, Sir, much has been made of the "so-called" apology, tendered by Mr. Arun Pathak. He tendered his unqualified apology in the following words;

> "I had apologised in my previous statement also. As I said that I committed a mistake and it did not occur to me that there can also be a moral and administrative angle. I apologise for that. It was never my intention to offend the hon. Member, and if he has been offended, I apologise for that."

Now, Sir, I have referred to the two officers. The two officers were not on the scene of occurence. But the Committee thought that the constructive responsibility was on them also and therefore, they were asked to appear before the Committee. Similarly, Shri Shiva Das Pandey, Jamadar, also expressed his unqualified regret in the following words:—

> "Sir, I express my unqualified regret, if by my behaviour during the performance of my official duty, I have in any manner hurt the feelings of the hon. Member."

Lastly, Shri Abdul Sattar, Constable, who is supposed to have abused Shri Kunwar Ram, Member of Parliament has expressed his unqualified regret in the following words:—

> "While unconditionally accepting the finding of this Hon. Committee....."

Now, what is the finding of this hon. Committee? I will read out the relevant portion of the findings of the Committee. It is on page 36.

> "The Committee were not convinced by the written statements and oral evidence given before the Committee by Shri Arun Pathak, Home Commissioner of Bihar, Shri A. K. Pande, Senior Superintendent of Police, Patna, Shri Shiva Das Pandey, Jamadar and Shri Abdul Sattar, Constable on duty. The Committee were of the opinion that taking into view the totally of the circumstances of the case, Shri Kunwar Ram, M. P. had been ill-treated and abused in filthy language by Shri Abdul Sattar, Constable on duty under the Supervision of Shri Shiva Das Pandey, Jamadar."

Now, this main offender says like this·

> "Sir, while unconditionally accepting the finding of this hon. Committee, I express my unqualified regret to the Committee and also to Shri Kunwar Ram, Member of Parliament, if by my behaviour he has felt insulted in any way, I request that I may kindly be granted pardon."

(Interruptions)

This is so far as the pardon part is concerned....*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is Chairman of the Privileges Committee. It is only he who can defend it. How can you defend it?

SHRI HARINATHA MISRA: Now, I come to the next issue why the Chief Minister was not asked to appear before the Privileges Committee.

With your permission, I would like to refer to the statement of Shri Kunwar Ram made on 5th December, 1980 on the floor of this august House. In connection with the Chief Minister, he said:

> "...हम ने कहा कि जब तक मख्य मंत्री यहां नहीं आएंगे और उन को स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। सचिवालय के बहुत से छोटे कर्मचारी जो इस व्यवस्था यानी घेराबन्दी से परेशान थे, वे हमारे बीच में खड़े हो गए। लगभग 10 हजार की भीड़ आ गई। हम ने यह देखा कि ला-एंड-आर्डर का प्राबलम हो जाएगा, हम ने बेटे को कहा कि जाकर चीफ सिविस्टर को इन्फार्म

[श्री हरिनाथ मिश्र]

करो और या तो किसी भी आफिसर को भेज सकते हैं या उसमें आप आ सकते हैं तो यह मामला शांत हो सकता है, लेकिन हुकूमत की ओर से कोई भी आया नहीं । फिर हम को खुद जाना पड़ा मुख्य मंत्री के डेरे पर । मुख्य मंत्री के पास जा कर हम ने बयान दिया और मुख्य मंत्री का जो व्यवहार था, यह जानने के बाद कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ यह घटना घटी है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि लिख कर दे दो और चले गए कोठे पर । इस तरह का उनका व्यवहार हुआ और उनका पुलिस के प्रति इतना प्रेम था । यह हमारे साथ बेइज्जती हुई ।..

I would request you to consider coolly whether the Chief Minister comes into the picture and on what basis he should have been summoned by the Privileges Committee to appear before it... (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Could you tell us whether this was a unanimous decision of the Committee not to call the Chief Minister.... (*Interruptions*)

श्री कुंवर राम (नवादा) : अरुण पाठक और पांडेय जी भी तो पिक्चर में नहीं आते हैं अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आते हैं । उन को क्यों बुलाया ?

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Was it a unanimous decision of the Committee not to call the Chief Minster? (*Interruptions*).

SHRI HARINATHA MISRA: Yes, as I told you... (*Interruptions*).

Now, I come to the evidence of Shri Kanwar Ram before the Committee... (*Interruptions*) I would request the hon. Members to be kind enough to give me a patient hearing.

Kindly see pages 50-51 of the report.

सभापति महोदय : लोक सभा में आप ने जो ब्यान दिया है, क्या उस के अतिरिक्त भी आप को कुछ कहना है या सभी बातें उसी में आ गई हैं ?

श्री कुंवर राम : कुछ तो कहना ही पड़ेगा ।

जिस वक्त वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी और मैं धरने पर बैठा हुआ था तो मैंने अपने लड़के से कहा कि तुम जाओ और मुख्य मंत्री से जा कर कहो कि जब तक वे यहां पर नहीं आएंगे मैं धरने से नहीं हटूंगा ।

पुलिस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेइज़्ज़ती की है । मेरे लड़के ने चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर, जोकि पास में ही था, यह सूचना दी तो उनके दो पी. ए. आए । एक पी. ए. का नाम इन्दू बाबू है, दूसरे का नाम मैं नहीं जानता । उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर से भेंट कर लें । मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर भीड़ काफी थी और सारे लोग इस बेइज्जती पर नाराज थे । कुछ नारे भी लग रहे थे जो ठीक भी नहीं थे क्योंकि हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे । मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि पुलिस पर ऐक्शन हो। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुख्य मंत्री यहां पर आयें। फिर थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री, श्री शमायत नबी हैं, वे वहां पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुख्य मंत्री जी को यहां पर बुलायेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है कि गोली भी चल जाए। मैंने कहा कि अगर मुख्य मंत्री नहीं आ सकते हैं तो क्या आई. जी., डी. आई. जी., एस. पी. या डी. एस. पी. भी नहीं आ सकता है? उन्होंने कहा कि हम इसपर ऐक्शन लेंगे और सस्पेंड करेंगे, आप हमारी बात को मानिए। फिर मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ कर चलने लगा तो बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की।

सभापति महोदय: आप कितनी देर धरने पर रहे?

श्री कुंवर राम: मैं ढाई घंटे धरने पर रहा। उस समय लोगों ने जो तकलीफ बयान की उससे मुझे अपनी हुकूमत पर शर्म आ रही थी। बहरहाल मैं उनके साथ मंत्री के यहां

गया। वे ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए तो मैंने उनसे कहा . . .

AN HON. MEMBER: What is the point he wants to derive at.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is replying to the point why the Chief Minister was not called.

श्री हरिनाथ मिश्र : ". . . कि मैं तो बैंक में पैसे लेने के लिए गया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ हैं, आप क्यों चले गए? मैंने कहा कि मैं तो बैंक गया था, सेक्रेटेरियट नहीं गया था, आपने बैंक को क्यों बन्द करके रखा है? कितनी लोगों को परेशानी हो रही थी। उसमें हमें भी परेशानी हुई। इसके लिए तो कोई व्यवस्था रखनी चाहिए कि बैंक कोई जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिख कर दीजिए और चले गए कोठे पर। हमें बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा कि जितना पुलिस ने अपराध नहीं किया था उससे ज्यादा मुख्य मंत्री ने अपराध किया . . ।"

The matter was further discussed during the sitting of the Committee..

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody has got a copy of the report. Take some points from that and then reply.

SHRI HARINATHA MISRA: I have to reply to so many important points that have been raised.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can reply to all the queries that have been raised even without referring to the report and reading therefrom. You are capable of doing that. .... (*Interruptions*).

SHRI MOOL CHAND DAGA: He should follow as to what is the sense of the House and then review the whole question..... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The sense of the House is that you know everything and you can make a speech without reading from the report.

SHRI HARINATHA MISRA: I want to read out important extracts from the report, which will make the position clear.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If everything is read verbatim the House becomes impatient. That is why I am trying to help you. You know everything.

SHRI HARINATHA MISRA: I have to place the facts as briefly as possible before the House.

This is what Shri Ram Jethmalani asked Shri Kanwar Ram:

"You heard just now. In your statement before the Parliament, you had not mentioned specifically this incident with the Chief Minister. Have you any explanation to offer."

"**श्री कुंवर राम**: उनका ऐसा व्यवहार था जिससे मैंने बेइज्जती महसूस की। उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। . ."

श्रीमती शीला कौल: आपके चीफ मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं?

श्री कुंवर राम: ताल्लुकात अच्छे हैं। उनके राजनीतिक संघर्ष में एक बार नहीं पांच-पांच बार हमने साथ दिया है।

श्री जी. एल. डोगरा : यह ठीक है, इनके ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं ।

श्रीमती शीला कौल: मेरा मतलब यह है कि दोस्ती में ऐसा भी कह देते हैं कि आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं ।

Shri Ram Jethmalani—He might have made it in jest."

No, Sir, we may stop for a moment and analyse the situation.

When the message reached the Chief Minister that Shri Kanwar Ram had been on Dharna, he sent two of his PAs to bring him. But somehow Shri Kunwar Ram could not go there.

[Smt. Sheela Kaul]

Apparently he sent one of the Ministers of State to bring Shri Kunwar Ram to his residence. The Minister of State came; persuaded Shri Kunwar Ram to board his car and both of them drove him to the Chief Minister's residence.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Now, Sir, he is speaking in defence of the Chief Minister. This cannot be permissible, Sir. The only issue he can say was why the Chief Minister could not be called? But now he is defending the Chief Minister; I can read but some evidence to show what Shri G. L. Dogra has said about the same how he should behave with an MP. Other members were asking him that the Chief Minister may be called.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You conclude now.

SHRI HARINATHA MISRA: When he goes there, the Chief Minister comes and requests Shri Kunwar Ram to give in writing what he had to say to one of his PAs and then he went upstairs.

Now, I have tried to analyse what the Committee has said and probably with no exception all the Member had taken part.

In my humble opinion, apparently some objection can be taken to:

(*Interruptions*)

"आप बेवकूफ हैं, आप वहां क्यों चले गए."

SHRI HARINATHA MISRA: Now, Sir, I may be allowed to ask: are the MPs social beings or are they functioning outside the society? If I for one choose in joke or in jest, to describe some one of friends as a fool and say as to why he went to the police straight, is it a crime? Obviously if the Chief Minister could be roped in me on this basis, then probably none of us will escape the net of the Committee.

AN HON. MEMBER: Then what is the object of the Committee?

SHRI HARINATHA MISRA: I am coming to that.

Sir, taking a literal and realistic view, having been the Chairman of the Committee of privileges, I know that only when someone is obstructed or humiliated in the performance of his Parliamentary duties, he or she can be accused of breach of privilege.

There is another kind of case also which can be taken and suitable punishment awarded:

> "Both Houses will punish not only contempts arising out of facts of which the ordinary courts will take cognizance, but those of which they cannot, such as contemptuous insults, gross calumny or foul epithets by word of mouth, not within the category of actionable slander or threat of bodily injury." (P 153; May's Parliamentary Practice)

And on this very basis, although Shri Kunwar had not gone to the Secretariat, in the course of his performance of parliamentary duties; we have examined this whole issue threadbare. I find that various speakers had time and again referred to the findings of the Committee; and on that point, there is no objection from any quarter whatsoever.

Coming to the quantum of punishment, it has been suggested by Dr. Swami that the matter may be referred back to the same Committee. The Committee has considered it as seriously and meticulously as possible. If the Committee is somehow accused of becoming lenient to guilty persons, then the House as the Supreme body may itself take decisions. It has just now been suggested to me by one of my hon. colleagues, Shri Somnath Chatterjee—it is this: I read out:

> "If it is a question of punishment . . " (*Interruptions*)

No; that is his suggestion.

> ".....why should it be sent back to the Committee?"

Yes; it is a weighty suggestion. If the Committee is finding that the House is in entire disagreement, if it thinks that knowingly the Committee has been lenient towards guilty persons, then the House has the necessary authority to punish the guilty persons as it likes.

Now I come to the last point.

PROF. MADHU DANDAVATE: Excuse me. If any hon. Member of the Privileges Committee has sent to you a small note in the course of the Committee proceedings, I don't think that that should be quoted here. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Just now?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I had just sent him a private note. (*Interruptions*)

SHRI HARINATHA MISRA: That is true.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It should be taken off the record. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: If the original comment was bad, I think this is worse.

MR. DEPUTY SPEAKER: A note sent by a Member of the Privilege Committee to the Chairman. That is all. Privately. It is between them.

PROF. MADHU DANDAVATE: This is nationalizing the private sector. This is not permissible.

SHRI HARINATHA MISRA: As you like; if I committed a folly in mentioning the name of my esteemed friend and colleague on the Committee of Privileges, then you may expunge it, if you like.

Anyway, I am coming to the last point.

MR. DEPUTY SPEAKER: I need not expunge if.

SHRI HARINATHA MISRA: It is well known that according to our Constitution.... (*Interruptions*) I am coming to the last point.

MR. DEPUTY SPEAKER: We all expect that to be the last point.

SHRI HARINATHA MISRA: As is known to the hon. Members, the privileges of this House, this august body, are the same as the privileges of the House of Commons; and the privileges of the individual Members of this House are the same as the privileges of the Members of the House of Commons.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is not correct.

SHRI HARINATHA MISRA: It is cent percent correct.

15.59 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: In the Constitutional amendment, it has been removed; and during the Emergency, of all times.

SHRI HARINATHA MISRA: It is the correct position for aught I know that the House of Commons had appointed a Select Committee in the year 1967 for reviewing the working of its Committee of Privileges. For full eleven years this committee sat over the matter and deliberated. And its conclusion in 1978 with which the House agreed was that the penal jurisdiction of the House should be exercised exceedingly sparingly. If my information be correct ever since this decision, never has the House of Commons exercised its penal jurisdiction.

16 hrs.

I am not sure, but I am told. (*Interruptions*) The greatness of a person or of an institution lies in the largeness of heart and magnanimity. (*Interruptions*) It is undeniable, then this august House, sole representative of the citizens of our vast country also represents the hopes and aspirations

[Shri Harinatha Misra]

of our people. The writ of this House runs throughout the length and breadth of the country. It has been the tradition of the Committee of Privileges that, whenever a contemner—and, for the matter of that the contemners—expressed their unqualified regrets or offered their unconditional apology, the same is invariably accepted. And the House, on its part in its magnanimity, large-heartedness and the majesty of spirit agrees with the recommendations of the Committee of Privileges.

As I told you, the apologies offered by the contemners are unconditional and the Committee thought it proper that the matter should end there. I would request the hon. member Shri Paswan and others, for whom I have great respect and admiration, to act upto the tradition which has been there in existence since long and let the matter rest where it is.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Let him take the Report back.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: As a member of the Committee, I have the great privilege of being in the Committee of Privileges for over seven years; and we know we functioned as a Committee of the House and we are very happy and proud—I am personally also—that we have always conducted the proceedings in the Committee of Privileges completely on a non-partisan basis.

So far as the present matter is concerned, the House and all the hon. members who have participated in it, nobody has been pleased to question the findings; the findings are not being questioned. Therefore, to that extent, the Committee's Report has been upheld. The question is now what is the punishment which should be given. In view of the past experience and the tradition of the Committee of Privileges where unconditional apologies are given relying on precedents, we thought we would accept that and it was accepted. If the House in its combined wisdom—and we are only part of the House; represented in the Committee as a Committee of the House—as a whole feel that we members of the Committee of Privileges should have considered other punishment, the House is at liberty to consider that. My only submission is that, if it is again sent back to the Committee, because there is no question of giving a different finding on the guilt, because that finding is accepted by the House, there is no question of again deliberating on the facts; facts have been arrived at and accepted by the House. It is a question on the facts as found what should be the punishment.

MR. SPEAKER: Quantum of punishment.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What should be the quantum of punishment? Therefore, my respectful submission is that if this August House is of the view that other punishment should be given, let the House decide about it. Let it not be sent to the Committee because the Committee has got nothing more to do. Therefore, I request,—I am not suggesting—that some other punishment be given—I stick to the recommendations which have been given by the Committee, namely, the matter may be dropped because of the unconditional apology which has been given. But if the House in its wisdom feels that some other punishment be given, the House is at liberty. Let us not have the agony of going through our own proceedings where things have been finalised there so far as we are concerned.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Why should the House be put to any agony? We accept the report of the Committee.

MR. SPEAKER: Yes, Mr. Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Speaker, Sir, the privileges of the Members are supreme, whether it is outside the House or inside the House. Whenever the privileges of Members are affected, it is our duty to protect the privileges of hon. Members. Hon. Members have very righly pointed out that there is no party or any affiliation that can get connected with that. But, the convention as mentioned by Shakdher has been, I am quoting from Shakdher's book , wherein he has stated,

> "...wherein regret is expressed or clarification is given by the alleged offender, the Committee may not give a finding whether or not a breach of privilege has been committed; and recommend that no further action be taken by the House in the matter. In such cases the recommendation is invariably accepted by the House."

This is the recommendation made by Kaul and Shakdher.

SHRI SATISH AGARWAL: No finding is given? (*Interruptions*)

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: We have noted the feelings of the House, and as the Chairman has also put up the case, there has been no difference of opinion and unanimously the Committee's recommendations have been accepted by the House and there has been no difference of opinion with regard to the finding of the Committee.

MR. SPEAKER: There is not.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But in all humility I may submit to you, the Government on its part, will not come in the way of whatever the House expresses in this matter. But I want to reemphasise the fact that there has been a convention in this regard and when this matter is being decided upon, this aspect of the matter also may be borne in mind.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Mr. Speaker, I have a point. I have just heard half of the speech of the Chairman of the Privileges Committee. I also agree with his senior colleague, Shri Somnath Chatterjee. But I disagree with him when he says that we should leave it to the House about the quantum of punishment. I fail to understand how such very senior and very experienced Members, when they were on the Committee, why could they not discharge their duty properly instead of leaving it to the House? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, that is not.... (*Interruptions*)

SHRI RAJESH PILOT: It is not correct. They are senior people. Of course, the House is supreme. But they are leaving the baby in the court of the House.

MR. SPEAKER: Look here. Order, order, please. What I find is that there is no discrepancy or disagreement with the findings of the Committee. The question is only about the quantum of punishment, whatever it is. And in that case, whatever the House feels I think we can again ask them

PROF. N G. RANGA: May I make a point? Why should we ask them, I do not know. They have already considered. Unconditional apologies have been placed before them repeatedly and they have been repeated to us.

MR. SPEAKER: Rangaji, there is no disagreement with them on the findings. It is only the question of punishment. That is what I find from all the sections of the House That is what I am seeking. That is what I am feeling.

PROF. MADHU DANDAVATE: I would suggest that if the quantum of punishment is left to them, I think, in a cool manner, they themselves can apply their mind and come forward with a proposal. That is far better.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This is precisely the amendment I have moved. I would like to say for the sake of record that unlike the case Mr. Venkatasubbaiah just mentioned, this is a report where a conclusion has been reached that something wrong has been done, whereas in the earlier one which he referred, there was no conclusion reached and the witnesses on their own or the people, who were called before the Committee, on their own, offered an apology. Here, I would say that after a great deal of grilling, the facts were arrived at and the Committee expressed an opinion. Sir, it has never been the tradition, to my knowledge, that the recommendations of the Privileges Committee have either been modified or expanded in this House. Therefore, we must maintain that tradition rather than awarding the punishment spontaneously, which would mean that everybody will have his own ideas as to how it is to be done. So, we would first support the conclusions of the Committee and then say, please award the punishment which they have not awarded.

MR. SPEAKER: We have full faith in the capability and intelligence of the Committee.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The hon. Chairman of the Committee has spoken here at length. And what I have understood in long or in short is this. He as the Chairman of the Committee, feels and perhaps, the entire Committee feels that what they have done, to the extent they have gone, they are satisfied. They think that they have done the correct thing. If the House decides to send this matter back to the Committee to reconsider the question of quantum of punishment, then it should be made clear to the Committee that it is a sort of terms of reference from this House to them. And they should not again stick to their old stand. They are expected to reconsider the matter in a positive way.

MR. SPEAKER: That is what I feel.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I want to clarify one thing, otherwise, there will be unnecessary misunderstanding. The higher officers are not party to the act of breach of privilege. They were nowhere there. Ultimately they cannot be punished because they are not guilty of breach of privilege. Our criticism of the officers' conduct was that the enquiry performed by them was perfunctory. They did not hold the enquiry properly. But you cannot hold them guilty of breach of privilege in respect of the accident. Only the two constables can ultimately be held guilty for breach of privilege and ultimately they may be sent to prison or may be reprimanded here. All the other high officers will go scotfree. I wanted to avoid that but I cannot help it now.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You use your legal brain to find a way to give them punishment.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Do you want me to use my legal brain to punish a person who is not involved at all? This is funny.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: For example, they could recommend that the officers be brought before the House and reprimanded here. This is well within their powers. I am surprised that Mr. Somnath Chatterjee should find that their powers are limited.

PROF. N. G. RANGA: Do you think that these officers are so big that they should be brought here and given the status of coming before the House? That kind of punishment is awarded only in extreme cases. I do not think these officers deserve that kind of treatment at the hands of this House.

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष जी, फिर सारी चीज को साइडट्रेक किया जा रहा है । सीधी सी बात है कि माननीय कमेटी के प्रति तमाम सदस्यों की बहुत श्रद्धा है । उसकी विद्वता पर, एफिसिएंसी पर और उसकी मेहनत पर पूरा विश्वास है, लेकिन आफ्टरआल कमेटी इस पूरे सदन का एक पार्ट है । सदन सिर्फ अपनी

फीलिंग्स दे रहा है । सदन इस बात को देख रहा है कि दिन प्रति दिन मेम्बर आफ पार्लियामेंट का ह्यूमिलिएशन हो रहा है और कमेटी ने इस बात को कबूल किया है । आपकी कितनी पावर थी, यह मैं नहीं जानता । यह इन्टरनल मैटर है । चटर्जी साहब ने कहा कि व्यक्तिगत मामला है । मैं इसको नहीं मानता हूं । इस रिपोर्ट में जो साफ कहा गया है उससे मैं बंधा हुआ हूं । कहा गया है :

"समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही के साथ और सरसरी तौर पर जांच की है और सही सही तथ्य नहीं बताए हैं । इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा श्री ए. के. पाडे, वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य में सच्चाई का पता लगाने में बिल्कुल सहायता नहीं मिली है ।

यह आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, आपकी फाइंडिग्ज हैं मेरी नहीं । ये सभी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं । आपने उन से माफी मंगवाई । अगर वे समिति के सामने मांफी मांग सकते हैं और मांफी मंगावाई जा सकती है तो सदन के सामने उनको बुला के उनसे मांफी क्यों नहीं मंगवाई जा सकती है ? यह उसकी जुरिसडिकशन के कैसे बाहर हो जाएगा मैं नहीं समझ पाया हूं । अगर यह कहा जाता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं । शकधर कौल सब को आपने कोट किया है और प्रेसीडेंट आपने बताए । लेकिन पार्लियामेन्ट नया प्रेसीडेंट भी..... तो कायम कर सकती है ।

MR. SPEAKER: Now let me find out what is the consensus of the House.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigal): My party's view has not been given at all.

MR. SPEAKER: It is not a party matter. This is a party-less view non-party view.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I would make an appeal to the hon. Members that the recommendations of the Committee be accepted..... (*Interruptions*)...

MR. SPEAKER: Now let me find out the consensus.

SHRI K. MAYATHEVAR: The Privileges Committee has not awarded any punishment to the delinquent officials. It is the foremost and fundamental duty of this House to decide the punishment. In 1978, When I was a member, in so far as Shrimati Indira Gandhi is concerned, even though the Committee did not make any recommendation, in spite of that, the House took a decision to imprison her. Therefore, it is the duty and right of the House to decide the quantum of punishment to be given.

MR. SPEAKER: I will now put to vote the motion moved by Shri Ram Vilas Paswan. The question is:

"That this House do consider the Second Report, of the Committee of Privileges presented to the House on the 21st April, 1982."

Those in favour may say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: 'Aye'.

MR. SPEAKER: Those against it may say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: No.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is the motion for consideration; it is not about the quantum of punishment.

MR. SPEAKER: The 'Ayes' have it; no doubt about it. If you want a division, I will call it. The question is:

"That this House do consider the Second Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 21st April, 1982."

The motion was adopted.

श्री राम विलास पासवान: मैं प्रस्ताव करता हूं :

सदन विशेषाधिकार समिति की द्वितीय रिपोर्ट पर विचार करने के

[श्री राम विलास पासवान]

पश्चात निश्चय करता है कि सदन की मानहानि करने वाले सर्वश्री अरुन पाठक, तत्कालीन गृह आयुक्त, श्री ए. के पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, श्री शिवदास पांडे जमादार एवं अब्दुल सत्तार कांस्टेबल को सदन के सम्मुख बुला कर उन्हें प्रताड़ित किया जाए ।

प्रो. अजित कुमार मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

यह सदन दोषी व्यक्तियों को सदन में उपस्थित कर प्रताडित करने का निर्णय लेता है ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Unfortunately, I do not have a copy of my amendment....I have got it. I beg to move:

"That the Report be referred back to the Privileges Committee for reconsideration of the evidence."

I can add "That the Report be referred back to the Privileges Committee for a view of the quantum of punishment." (*Interruptions*). May I read it again?

MR. SPEAKER: I think you have read it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I do not want it to be very brief also. I beg to move:

"After consideration of the Report of the Committee, the House accepts the findings of the Committee, but refers back to the Committee the Report for a review of the quantum of punishment to be awarded."

MR. SPEAKER: I shall now put the amendment moved by Shri Paswan to the vote of the House.

The question is:

"After considering the report of the Committee, the House decides that Sarvashri Arun Pathak, the then Home Commissioner, A. K. Pandey, Senior Supereintendent of Police, Shiva Das Pandey, Jamadar and Abdul Sattar, Constable, who are responsible for the contempt of the House, may be summoned before the House and admonished". Those in favour may say 'Aye'.

SEVERAL HON. MEMBERS: Aye.

MR. SPEAKER: Those against may say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: No.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Then I shall have to call for a division.

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: If my amendment is accepted, then he withdraws his amendment.

(*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: If Dr. Swamy's amendment is accepted, then I withdraw my amendment.

MR. SPEAKER: I do not know what will happen. I can't give any guarantee for this.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : There is no objection to accept Dr. Swamy's amendment.

MR. SPEAKER: Of course, then it is all right. Then you withdraw.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, I am on a point of order. Mr. Paswan has moved his amendment. You have invited the opinion of the House and the House has given its opinion by a voice vote. You have to determine what is the opinion.

MR. SPEAKER: No. I was calling for a division.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You have to act according to rule.

MR. SPEAKER: According to the rule I was calling for a division.

(*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : Then you can put that amendment first.

MR. SPEAKER: No, no. He is ready to withdraw and they have accepted it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: At this stage, he cannot do so because.....

MR. SPEAKER: I will ask the House whether Mr. Ram Vilas Paswan's....

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No, no.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, you have to do it according to rules.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Why are you trying to unnecessarily create trouble for me? There is no question. You are accepting the....

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It should be according to rules.

MR. SPEAKER: That is what we are doing.

(*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): Mr. Speaker, you did not declare the result.

MR. SPEAKER: No. I will take it again.

The question is:

"After considering the report of the Committee, the House decides that Sarvashri Arun Pathak, then Home Commissioner, A. K. Pandey, Senior Superintendent of Police, Shiva Das Pandey, Jamadar and Abdul Sattar, Constable, who are responsible for the contempt of the House, may be summoned before the House and admonished."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now, I shall take up Prof. Ajit Kumar Mehta's amendment. Do you like to withdraw?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Yes. I seek leave of the House to withdraw my amendment.

MR. SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Prof. Ajit Kumar Mehta be withdrawn?

The amendment was by leave, withdrawn

MR. SPEAKER: Now, I shall put the amendment of Dr Subramaniam Swamy that the report be referred back to the Privileges Committee for reconsideration of the quantum of punishment and approval of all the other findings.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : They have accepted the recommendation of the Committee.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Yes, they have accepted the recommendations of the Committee. They fully agree with them except that the quantum of punishment be reconsidered.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): After accepting the findings.

MR. SPEAKER: Findings are all right.

MR. SPEAKER: The question is:

"After consideration of the report of the Committee the House accepts the findings of the Committee, but refers back to the Committee the report for a review of the quantum of punishment to be awarded."

The motion was adopted.